

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-33/रेडियो./एम-97 II/2018/227

दिनांक : 1/6/18

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नामों के सम्मुख अंकित परीक्षा में बैठने की अनुमति अद्योलिखित शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	परीक्षा
1.	श्री कृष्ण कुमार सहायक रेडियोग्राफर	सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड प्रथम हेतु परीक्षा 2018 (एम्स, भोपाल, मध्य प्रदेश)
2.	श्री मदन सिंह रेडियोग्राफर	सीएचसी कोलायत, बीकानेर	आरपीएससी-आरएएस परीक्षा 2018
3.	श्री कमलेश नामा सहायक रेडियोग्राफर	सेटेलाईट अस्पताल सेठी कोलोनी जयपुर	बेचलर ईन लाइब्रेरी एण्ड इन्फोरमेशन साइंस कोर्स परीक्षा 2018(वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय)
4.	अभिषेक पाराशर सहायक रेडियोग्राफर	जेएलएन चिकित्सालय अजमेर	एनसीसी स्पेशल एन्ट्री एसएसबी भोपाल में साक्षात्कार दि. 29.6.2018
5.	दीपिका खंगारोत सहायक रेडियोग्राफर	राजकीय दंत महाविद्यालय जयपुर	आरएएस परीक्षा 2018 एवं यूपीएससी आईएएस परीक्षा 2018
6.	श्रीमती गायत्री देवी सहायक रेडियोग्राफर	न्यू मेडिकल कॉलेज, कोटा	एमएससी (प्रीवियस) परीक्षा 2017 (वर्धमान महावीर खुला विश्व, कोटा)
7.	श्री मुकेश सहायक रेडियोग्राफर	जेएलएन चिकित्सालय अजमेर	उद्योग प्रसार अधिकारी एवं सुपरवाइजर परीक्षा (महिला एवं अधिका.विभाग) एवं आरपीएससी-आरएएस परीक्षा 2018
8.	श्री मनोज कुमार अपूर्वा रेडियोग्राफर	जेएलएन चिकित्सालय अजमेर	आरपीएससी-आरएएस परीक्षा 2018
9.	श्री धर्मेन्द्र कुमार सोनी सहायक रेडियोग्राफर	जेएलएन चिकित्सालय अजमेर	रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड प्रथम व द्वितीय हेतु परीक्षा 2018 (एम्स, भोपाल, मध्य प्रदेश)
10.	श्रीमती सुमन कुमार गोस्वामी सहायक रेडियोग्राफर	पीएमओ, सीकर	एसबीआई पी.ओ.एवं आरपीएससी-आरएएस परीक्षा 2018
11.	श्री देवेन्द्र प्रकाश शर्मा सहायक रेडियोग्राफर	सीएचसी, हरसोली अलवर	उद्योग प्रसार अधिकारी परीक्षा 2018 एवं आरएएस/आरटीएस संयुक्त परीक्षा 2018
12.	श्री महेन्द्र कुमार रेडियोग्राफर	जनाना अस्पताल चांदपोल जयपुर	आरएएस/आरटीएस संयुक्त परीक्षा 2018. आरपीएससी वन रेन्ज ऑफिसर ग्रेड-1 परीक्षा वर्ष 2018-19 एवं स्कूल प्राध्यापक परीक्षा 2018-19
13.	श्री दीपक सैनी सहायक रेडियोग्राफर	पीएमओ अलवर	बी.ए.द्वितीय वर्ष 2018 (स्वयंपाठी)
14.	श्री राष्ट्रबन्धु चौधरी सहायक रेडियोग्राफर	पीएमओ अलवर	एम.ए.(प्रीवियस) परीक्षा 2018 (स्वयंपाठी)
15.	ताहिरा खान सहायक रेडियोग्राफर	सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	आरएएस परीक्षा 2018
16.	श्री दिलीप सिंह रेडियोग्राफर	राज. आरबीएम चिकि भरतपुर	आरपीएससी-आरएएस एवं आरटीएस परीक्षा 2018-19
17.	श्री राजवीर सिंह रेडियोग्राफर	जेएलएन चिकित्सालय अजमेर	उद्योग प्रसार अधिकारी एवं सुपरवाइजर परीक्षा 2018 (महिला एवं अधिका.विभाग)
18.	श्री कपिल देवी रोहिल्ला रेडियोग्राफर	सीएचसी मुण्डावर अलवर	आरएएस प्री परीक्षा 2018
19.	श्री मामराज गुर्जर सहायक रेडियोग्राफर	राज.चिकित्सालय शाहपुरा, जयपुर	आरपीएससी आरएएस परीक्षा 2018
20.	श्री तेजाराम सैनी रेडियोग्राफर	राज.चिकित्सालय शाहपुरा, जयपुर	आरपीएससी आरएएस परीक्षा 2018
21.	श्री सुशील गुप्ता फार्मासिस्ट	राज.चिकित्सालय शाहपुरा, जयपुर	आरपीएससी आरएएस परीक्षा 2018
22.	श्री लोकेश कुमार जोनवाल फिजियोथेरेपिस्ट	राज. अमृतकौर चिकि. ब्यावर, अजमेर	आरपीएससी आरएएस परीक्षा 2018

23.	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा नेत्र सहायक	राज. सेटेलाईट हॉस्पिटल चाकसू जयपुर	आरएएस परीक्षा 2018, एसीएफ वन विभाग एवं जिला उद्योग अधिकारी भती परीक्षा 2018
-----	--	--	---

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. कार्मिक को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी, इन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से कार्मिक को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरंतर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राज्यसेवक दैनिक राजकीय कार्य संपादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त करदी जायेगी।
8. अध्ययन वर्ष में कार्मिक की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणों से लोकहित/राज्य हित में स्वीकृति/अनुमति बिना कोई सूचना के निरस्त की जा सकती है।
11. राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
12. अर्जित योग्यता के आधार पर विभाग किसी प्रकार का लाभ का पद देने हेतु बाध्य नहीं होगा।
13. उक्त कार्मिक यदि संविदा/समेकित वेतन पर कार्यरत है तो उनके मामले में यह आदेश लागू नहीं होगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-33/रेडियो./एम-97 II/2018/ 227 दिनांक : 1/6/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रधानाचार्य, राजकीय दंत महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जयपुर व न्यू मेडिकल कॉलेज, कोटा, जेएलएन अजमेर
2. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर, जनाना अस्पताल जयपुर व जेएलएन चिकित्सालय अजमेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर, जयपुर प्रथम, जयपुर द्वितीय, अलवर
4. पीएमओ सीकर, सेटेलाईट चिकित्सालय सेठी कॉलोनी जयपुर, राजकीय चिकित्सालय अलवर, राजकीय चिकित्सालय भरतपुर, अमृतकौर चिकित्सालय ब्यावर अजमेर
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सीएचसी कोलायत (बीकानेर), हरसोली (अलवर), मुण्डावर (अलवर), शाहपुरा (जयपुर), चाकसू (जयपुर)
6. संबंधित कर्मचारियों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर